

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86]
No. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 1998/फाल्गुन 26, 1919
NEW DELHI, TUESDAY MARCH 17, 1998/PHALGUNA 26, 1919

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1998

सा. का. नि. 136(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग समूह "क" पद भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग समूह "क" पद भर्ती नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 8 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निर्रहता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)	44*	साधारण	8000-275-	लागू	35 वर्ष से अधिक नहीं
जब किसी चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्यो-पैथी विभाग में या भारतीय चिकित्सा भेषज गुण प्रयोगशाला गाजियाबाद में तैनात किया जाता है तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे चिकित्सा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी या भारसाधक भेषक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	(1998)	केन्द्रीय सेवा समूह के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	13,500 रु. केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भता	नहीं होता	टिप्पण : 1—ऐसे पदाधिकारियों के लिए, जो इन भर्ती नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर अनुसंधान सहायक/तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ तकनीकी सहायक/सहायक अनुसंधान अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं, आयु सीमा "50 वर्ष से अधिक नहीं" होगी।
चिकित्सा भेषज गुण प्रयोगशाला गाजियाबाद में तैनात किया जाता है तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे चिकित्सा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी या भारसाधक भेषक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।					इसके अतिरिक्त आयु सीमा और शिथिल नहीं की जाएगी।
					टिप्पण: 2—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण: 3—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्वीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			परिवीक्षा की जाएगी, यदि अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में कोई हो लागू होगी या नहीं
7	8	9	10		

आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/कानूनी राज्य बोर्ड/भारतीय चिकित्सा

7	8	9	10
	<p>संकाय से आयुर्वेद में डिग्री या समतुल्य, जिसे भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त है।</p> <p>(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में नामांकन हो।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>		

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता :

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा:

11	12
<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बो बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेंगी :-</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

13	14
<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है जो उसकी संरचना</p> <p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) — अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) — सदस्य 3. निदेशक (आयुर्वेद और सिद्ध) या सलाहकार (आयुर्वेद) — सदस्य 4. निदेशक/अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) — सदस्य <p>टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

13

14

भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जब किसी ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे ज्येष्ठचिकित्सा अधिकारी या सहायक सलाहकार (आयुर्वेद) के रूप में पदाभिहित किय जाएगा।	32* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय "क" राजपत्रित अननुसचिवीय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	10,000-325- 15,200 रु. केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति :

ऐसा चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।
 टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य
3. निदेशक (आयुर्वेद और सिद्ध) या सलाहकार (आयुर्वेद)—सदस्य
4. निदेशक/अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जब किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप सलाहकार (आयुर्वेद) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	10* (1998) *कार्यभार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	12000-375-16500 रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जिसने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)/चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की श्रेणी में कुल मिलाकर 9 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से दो वर्षों की नियमित सेवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की श्रेणी में हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य	
3. निदेशक (आयुर्वेद और सिद्ध) या सलाहकार (आयुर्वेद)—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
4. सलाहकार (आयुर्वेद) चिकित्सा अधीक्षक,	3* (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा	18400-500-22,400 रु.+	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
आयुर्वेद अस्पताल-1	समूह "क" के	राजपत्रित	आदेशानुसार	अनुसचिवीय	अनुज्ञेय	प्रेक्टिस बंदी भत्ता
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।						
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं				
11	12					
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति : ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) जिसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की श्रेणियों में कुल मिलाकर 13 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की श्रेणी में हो। टिप्पण 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के अंतर्गत उप सलाहकार (आयुर्वेद) भी सम्मिलित हैं। टिप्पण 2 : परन्तु यह कि पूर्व के भर्ती नियमों के अधीन सीधे भर्ती किए गए ऐसे विद्यमान उप-सलाहकार के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने 3000-5000 रु. (पुनरीक्षण पूर्व) और 12000-16500 रु. की श्रेणियों में उप सलाहकार के रूप में कुल मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।					
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)						
केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :						
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या						
(ii) जिन्होंने 4300-400-8300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या						
(iii) जिन्होंने 12000-375-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और						
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-						
आवश्यक						
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद/भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेद में डिग्री या समतुल्य, जिसे भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यताप्राप्त है।						
(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में नामांकन हो, और						
(iii) उस वृत्ति में 15 वर्ष का अनुभव।						
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके						

11

12

अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य
3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा या अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण संविदा के आधार पर नियुक्ति करते संयम संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
5. चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जब किसी चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए उसे चिकित्सा अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	38* (1998)	साधारण केन्द्रिय सेवा समूह "क" राज-पर परिवर्तन किया जा सकता है।	8000-275-13500-रु.+ केन्द्रिय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं	हां
					टिप्पण 1 : केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	
					टिप्पण 2 : ऐसे पदधारियों के लिए जो इन भर्ती नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर अनुसंधान सहायक/तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ तकनीकी सहायक/सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदधारण किए हुए हैं, "आयुसीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं" होगी। इसके अतिरिक्त आयु सीमा और शिथिल नहीं की जाएगी।	
					टिप्पण 3 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पंगोण हिमालय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

8

9

10

आवश्यक

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/
कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद से होम्यो-
पैथी में डिग्री या समतुल्य, जिसे
होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद अधिनियम,
1973 (1973 का 59) के अधीन
मान्यता प्राप्त है।

लागू नहीं होता

एक वर्ष

(2) केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर या राज्य
होम्योपैथी रजिस्टर में नामांकन हो।

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों
की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार
शिथिल की जा सकती हैं।

11

12

सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी
या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने
के कारण हुई रिक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/
मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, स्वशासी या कानूनी
संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत
अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेगी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित
सेवा की है, और
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित
शैक्षिक अर्हता है।

[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक
नहीं होगी]।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष
3. निदेशक/अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना—सदस्य
3. सलाहकार (होम्योपैथी)—सदस्य

टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को पुष्टि से संबंधित विभागीय
प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनाथ
भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो
विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
6. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जब किसी ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, या सहायक सलाहकार (होम्योपैथी) के रूप में पदाभिहित किय जाएगा।	34* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	10,000-325 15,200 रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिस-बंदी भत्ता	-अचयन लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
<ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य 3. सलाहकार (होम्योपैथी)—सदस्य 4. निदेशक/अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य 	

1	2	3	4	5	6	7
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जब किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और	4* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	12000-375- 16500 रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप सलाहकार के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	किया जा सकता है।		प्रेक्टिसबंदी भत्ता			
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं				
11	12					
प्रोन्नति	प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जिसने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)/चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की श्रेणियों में कुल मिलाकर 9 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से दो वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की श्रेणी में हो। टिप्पण : जहां ऐसा कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।					
13	14					
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।					
1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष						
2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य						
3. सलाहकार (होम्योपैथी)—सदस्य						
. 1	2	3	4	5	6	7
8. सलाहकार (होम्योपैथी)	1* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसचिवीय	18400-500-22,400 रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं
11		12

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति :

ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) जिसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की श्रेणियों में कुल मिलाकर 13 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की श्रेणी में हो।

टिप्पण 1 : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के अंतर्गत उप-सलाहकार (होम्योपैथी) भी सम्मिलित है।

टिप्पण 2 : परन्तु यह कि पूर्व के भर्ती नियमों के अधीन सीधे भर्ती किए गए ऐसे विद्यमान उप-सलाहकार के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने 3000-5000 रु. (पुनरीक्षण पूर्व) और 12000-16500 रु. की श्रेणियों में उप-सलाहकार के रूप में कुल मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने 14300-400-18300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या
(iii) जिन्होंने 12000-375-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद से होम्योपैथी में आयुर्वेद में डिग्री या समतुल्य, जिसे होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1970 का 59) के अधीन मान्यताप्राप्त है।
(ii) केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर या राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में नामांकन हो।
(iii) उस वृत्ति में 15 वर्ष का अनुभव।

पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13		14				
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)		किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।				
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष						
2. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य						
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक—सदस्य						
1	2	3	4	5	6	7
9. चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जब किसी चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए उसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	11* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय 'क' राज-पत्रित अनु-नुसचिवीय	8000-275-13500-रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : ऐसे पदधारियों के लिए जो इन भर्ती नियमों के प्रारम्भ की तारीख को नियमित आधार पर अनुसंधान सहायक/तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ तकनीकी सहायक/सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदधारण किए हुए हैं, "आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं" होगी। इसके अतिरिक्त आयु सीमा और शिथिल नहीं की जाएगी। टिप्पण 3 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां
8		9			10	
आवश्यक		लागू नहीं होता			एक वर्ष	
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/						

8	9	10
<p>कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद् भारतीय चिकित्सा संकाय से यूनानी चिकित्सा में डिग्री या समतुल्य, जिसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त है।</p> <p>(2) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में नामांकन हो।</p> <p>टिप्पण : अर्हताएं अन्वया सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>		

11	12
<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेगी :—</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है।</p> <p>[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

13	14
<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष 2. निदेशक/अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य 3. सलाहकार (यूनानी)—सदस्य <p>टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति

(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):

1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष
2. निदेशक/अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य
3. सलाहकार (यूनानी)—सदस्य

टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय

प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

14

संघ लोक सेवा समिति से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
10. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जब किसी ज्येष्ठ औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या सहायक सलाहकार (यूनानी) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	9* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय किया जा	10,000-325- 15,200 रु.+ केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भता	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं				

11

प्रोन्नति

प्रोन्नति :

ऐसा चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य
3. सलाहकार (यूनानी)—सदस्य
4. निदेशक/अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य

14

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जब किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए, उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप सलाहकार के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	2* (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अननुसचिवीय अनुज्ञेय प्रैक्टिसबन्दी भत्ता	12000-375-16500 रु.+	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।						

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जिसने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)/चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) की श्रेणियों में कुल मिलाकर 9 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें से दो वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) की श्रेणी में हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसा कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अर्वाधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
<ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य 3. सलाहकार (यूनानी)—सदस्य 	

1	2	3	4	5	6	7
12. चिकित्सा अधिकारी (सिद्धा) जब किसी चिकित्सा अधिकारी	2* (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह	8000-275-13500-रु.+ केन्द्रीय सरकार	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं	हां टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों

1	2	3	4	5	6	7
को किसी औषधालय/ चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए उसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।		“क” राज- पत्रित अन- नुसचिवीय	के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता		या आदेशों के अनुसार अन्य सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : ऐसे पदधारियों के लिए जो इन भर्ती नियमों के प्रारम्भ की तारीख का नियमित आधार पर अनुसंधान सहायक/तकनीकी सहायक/ज्येष्ठ तकनीकी सहायक/ सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदधारण किए हुए हैं, “आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं” होगी। इसके अतिरिक्त आयु सीमा और शिथिल नहीं की जाएगी। टिप्पण 3 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8	9	10
आवश्यक	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद भारतीय चिकित्सा संकाय से सिद्धा में डिग्री या समतुल्य, जिसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त है।		
(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में नामांकन हो।		

8	9	10
टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

11	12
<p>सीधी भर्ती</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेगी :-</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है।</p> <p>[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

13	14
<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)</p> <p>1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक/अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य</p> <p>टिप्पण : सीधे भती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

1	2	3	4	5	6	7
13. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सिद्ध) जब किसी ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी को किसी औषधालय/चिकित्सालय में या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में तैनात किया जाता है, तब कृत्यकारी प्रयोजनों के लिए उसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, या सहायक सलाहकार	2*	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसूचितीय	10,000-325-15,200 रु. केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।						

1	2	3	4	5	6	7
(सिद्ध) के रूप में पदाभिहित किय जाएगा ।						
8	9		10			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		कुछ नहीं			

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
<p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर¹ या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर भरी जा सकेगी :—</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है।</p> <p>[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।</p>	

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)—सदस्य	
3. निदेशक/अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)—सदस्य	

[सं. ए. 12011/2/96-भा. चि. प. (स्था. 1)]

चिरंजी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**(Department of ISM&H)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 1998

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and supersession of the Central Government Health Scheme and the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy Group 'A' posts Recruitment Rules, 1995, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian System of Medicine and Homoeopathy Group 'A' Posts in the Central Government Health Scheme and the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy, including attached and subordinate offices, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Government Health Scheme and the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified the column 1 of the Schedule, annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

5. Disqualification :—No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other persons, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Medical Officer (Ayurveda) For functional purposes, a Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Department of Indian systems of Medicine and Homoeopathy or in the Pharmacopoeial Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad, shall be designated as Medical Officer, a Research Officer or as the case may be, a Pharmacist-in-charge.	44* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group A Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 8000-275-13,500 plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government orders.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules 1972	
(6)	(7)	
Not exceeding 35 years.	Yes.	
<p>Note 1 : For those incumbents holding the post of Research Assistant/Technical Assistant/Senior Technical Assistant/Assistant Research Officer on regular basis on the date of commencement of these recruitment rules, the age limit shall be 'Not exceeding 50 years'. No further age relaxation shall be admissible.</p>		
<p>Note 2 : Relaxable for other Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p>		
<p>Note 3 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Anadaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.</p>		
Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Essential Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
Essential:—		
(i) A degree in Ayurveda of a Recognised University/ Statutory State Board/Council/Faculty of Indian Medicine or equivalent Recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).	Not applicable	One year
(ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or State Register of Indian Medicine.		
<p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.</p>		
Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made	
(11)	(12)	
Direct recruitment.	Not applicable	
<p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study Leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central /State Governments/ Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or statutory Organisations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 6,500—10,500 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 8. [The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]</p>		

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment				
(13)	(14)				
Group 'A' DPC (For considering confirmation)	Consultation with UPSC necessary.				
1. Secretary (Indian Systems of Medicine & Homoeopathy)—Chairman. 2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member. 3. Director (Ayurveda & Siddha) or Adviser (Ayurveda)—Member. 4. Director/Addl. Director (CGHS)—Member.					
Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Senior Medical Officer* (Ayurveda) *For functional purposes, a Senior Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be a designated as Senior Medical Officer or as an Assistant Adviser (Ayurveda).	32**(1997) **Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200 plus Non-Practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	
11			12		
Promotion			Promotion		
			Medical Officer (Ayurveda) with 4 years regular service in the grade.		
			Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
(13)			(14)		
Group 'A' DPC (For considering promotion)			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman 2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member. 3. Director (Ayurveda and Siddha) and Adviser (Ayurveda)—Member. 4. Director/Addl. Director (CGHS)—Member.					

1	2	3	4	5
3. Chief Medical Officer (Ayurveda)* *For functional purposes, a Chief Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department of Indian Systems of Medicine and Homocopathy shall be designated as Chief Medical Officer or as Deputy Adviser (Ayurveda)	10@ (1997) @Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 12,000-375-16,500 plus Non-Practising Allowance Admissible as per Central Government orders.	Non-Selection
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11	12			
PROMOTION	PROMOTION			
	Senior Medical Officer (Ayurveda) with 5 years' regular service in the grade failing which Senior Medical Officer (Ayurveda) with 9 years' combined regular service in the grades of Senior Medical Officer (Ayurveda)/Medical Officer (Ayurveda) out of which two years' regular service should be in the grade of Senior Medical Officer (Ayurveda). Note :—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			
	13		14	
	Group 'A' DPC (For considering Promotion) 1. Secretary (Indian System of Medicine and Homocopathy)—Chairman 2. Joint Secretary, (Indian System of Medicine and Homocopathy)—Member 3. Director, (Ayurveda and Siddha) or Adviser (Ayurveda)—Member		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
1	2	3	4	5
4. Adviser (Ayurveda)—2 Medical Superintendent, Ayurvedic Hospital—1	3* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 18,400-500-22,400 plus Non-Practising Allowance Admissible as per Central Government orders.	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
(11)		(12)		
Promotion failing which by transfer on deputation including short-term contract.		<p>PROMOTION</p> <p>Chief Medical Officer (Ayurveda) with 8 years regular service in the grade failing which Chief Medical Officer (Ayurveda) with 13 years combined regular service in the grades of Chief Medical Officer (Ayurveda) and Senior Medical Officer (Ayurveda) out of which 4 years regular service should be in the grade of Chief Medical Officer (Ayurveda).</p> <p>Note 1: Chief Medical Officer (Ayurveda) includes the Deputy Adviser (Ayurveda).</p> <p>Note 2: Provided that the existing Deputy Adviser directly recruited under earlier recruitment rules with 8 years' combined regular service as Deputy Adviser in the grades of Rs. 3000-5000/-(pre-revised) and Rs. 12,000—16,500 shall also be considered for Promotion.</p> <p>Note 3 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>TRANSFER ON DEPUTATION (ISTC) :</p> <p>Officers under the Central Government/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government Autonomous or Statutory Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis or</p> <p>(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 14,300-400-18,300 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 12000-375-16500 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—</p> <p>ESSENTIAL:</p> <p>(i) A degree in Ayurveda of a recognised University/Statutory State Board/ Council/ Faculty of Indian Medicine or equivalent recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).</p>		

(12)

- (ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine and
- (iii) 15 years' experience in the profession. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract) including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)

- Group 'A' DPC (For promotion)
1. Chairman/Member UPSC—Chairman
 2. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member
 3. DGHS or Additional DGHS—Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.

1.	2.	3.	4.	5.
5. Medical Officer (Homoeopathy)	38* (1977)	GCS Group 'A'	Rs. 8,000-275-13,500	Not applicable
*For functional purposes, a Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Medical Officer or as Research Officer.	* Subject to variation dependent on workload.	Gazetted. Non-Ministerial.	plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	
	6			7
Not exceeding 35 years				Yes.
Note 1 : Relaxable for other Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.				
Note 2 : For those incumbents holding the posts of Research Assistant/Technical Assistant/Senior Technical Assistant/Assistant Research Officer on regular basis on the date of commencement of these recruitment rules, the age limit will be 'Not exceeding 50 years'. No further age relaxation shall be admissible.				
Note 3 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.				
	8		9	10
ESSENTIAL			Not applicable	One year.
(i) Degree in Homoeopathy of Recognised University/Statutory State Board/Council or equivalent recognised under the Homoeopathic Central Council Act, 1973 (59 of 1973).				

- (ii) Enrolment on the Central Register of Homoeopathy or a State Register of Homoeopathy.

Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

11	12			
Direct recruitment	Not applicable			
<p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector undertakings/semi Government, autonomous or statutory organisations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 6,500-10,500 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the Educational Qualification prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>				
13	14			
Group 'A' DPC (For considering confirmation)	Consultation with Union Public Service Commission necessary.			
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman				
2. Director/Addl. Director (CGHS)—Member				
3. Adviser (Homopathy)—Member				
<p>Note :</p> <p>The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>				
1	2	3	4	5
Senior Medical Officer (Homoeopathy)*	34@ @ Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 10000-325-15200 plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection
<p>*For functional purposes, a Senior Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Adviser (Homoeopathy).</p>				
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11				
Promotion	Promotion : Medical Officer (Homoeopathy) with 4 years regular service in the grade.			

(12)				
NOTE: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, they senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next high grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service				
If a DPC exists what is its composition			Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	
13			14	
Group 'A' DPC (For considering promotion)			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman				
2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member				
3. Adviser (Homeopathy)—Member				
4. Director/Additional Director (CGHS)—Member				
1	2	3	4	5
Chief Medical Officer (Homoeopathy)*	4@ (1997) @ Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 12000-375-16,500 plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection
*For functional purposes, a Chief Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be a designated as Chief Medical Officer or as Deputy Adviser.				
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11			12	
Promotion			Promotion :	
			Senior Medical Officer (Homoeopathy) with 5 years regular service in the grade failing which Senior Medical Officer (Homoeopathy) with 9 year's combined regular service in the grades of Senior Medical Officer (Homoeopathy/Medical Officer Homoeopathy) out of which two years' regular service should be in the grade of Senior Medical Officer (Homoeopathy).	
			NOTE : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, they senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	

13					14				
Group 'A' DPC (For considering promotion)					Consultation with Union Public Service Commission not necessary.				
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman									
2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member									
3. Adviser (Homoeopathy)—Member									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Adviser (Homoeopathy)	1* (1997) * Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 18,400-500-22,400 plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Selection					
					Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11					12				
Promotion					Promotion :				
Failing which by transfer on deputation including short term contract.					Chief Medical Officer (Homoeopathy) with 8 years regular service in the grade failing which Chief Medical Officer (Homoeopathy)/with 13 years combined regular service in the grades of Chief Medical Officer (Homoeopathy)/Senior Medical Officer (Homoeopathy) out of which 4 years regular service should be in the grade of Chief Medical Officer (Homoeopathy).				
					Note : Chief Medical Officer (Homoeopathy) includes the Deputy Adviser (Homoeopathy).				
					Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.				
					Transfer on Deputation (ISTC)				
					Officers under the Central Government/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government Autonomous or Statutory Organisations :				
					(a) (i) holding analogous post on regular basis; or				
					(ii) with 3 years' regulars service in posts in the scale of Rs.14300-400-18300 or equivalent; and				
					(iii) With 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 12000-375-16500 or equivalent; and				
					(b) possessing the following educational qualifications and experience—				
					Essential				
					(i) Degree in Homoeopathy of a Recognised University Statutory State Board/Council of equivalent recognised under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973).				
					(ii) Enrolment on a Central Register of Homoeopathy or a State Register of Homoeopathy.				

(iii) 15 years experience in the profession. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group 'A' DPC (For promotion)	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on transfer on deputation/contract.
1. Chairman/Member UPSC — Chairman	
2. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) — Member.	
3. DGHS or Additional DGHS — Member.	

1	2	3	4	5
Medical Officer (Unani)*	11@ (1997)	GCS Group 'A'	Rs. 8000-275-	Not applicable
*For functional purposes, a Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Senior Medical Officer or as Research Officer.	@ Subject to variation dependent on work-load.	Gazetted. Non-Ministerial.	13,500 plus Non-Practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	

6	7
Not exceeding 35 years.	Yes.

Note 1: Relaxable for other Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: For those incumbents holding the posts of Research Assistant/ Technical Assistant Senior Technical Assistant/Assistant Research Officer on regular basis on the date of commencement of these recruitment rules, the age limit will be 'Not exceeding 50 years'. No further age relaxation shall be admissible.

Note 3: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

8	9	10
Essential	Not applicable	One year

(i) A Degree in Unani Medicine from a Recognised University/Statutory State Board/Council/Faculty of Indian Medicine or equivalent recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

(ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine.

Note :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in care of candidates otherwise well qualified.

11	12
<p>Note : Direct recruitment</p> <p>Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Government/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector undertakings/Semi Government, Autonomus or statutory organisations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 6,500-10,500 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational Qualification prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	Not applicable

13	14
<p>Group 'A' DPC (For considering cases of confirmation)</p> <p>1. Secretary, (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)— Chairman</p> <p>2. Director/Additional Director. (Central Government Health Scheme)—Member</p> <p>3. Adviser (Unani) —Member</p> <p>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

1	2	3	4	5
Senior Medical Officer (Unani)*	9 @	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200 plus Non—Practising Allowance Admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection
* For functional purposes, a Senior Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Senior Medical officer or as Assistant Adviser (Unani)	@ Subject to variation dependent on workload.			

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11		12		
Promotion		Promotion : Medical Officer (Unani) with 4 years regular service in the grade.		
NOTE : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.				
13		14		
Group 'A' DPC (For considering promotion)		Consultation with Union Service Commission not necessary.		
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman				
2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Member				
3. Adviser (Unani) —Member				
4. Director/Addl. Director (CGHS) —Member				
1	2	3	4	5
Chief Medical Officer (Unani)*	2@	GCS Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial	Rs. 12,000-375-16, 500 plus Non-Practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection
*For functional purposes, a Chief Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department or Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Chief Medical Officer or as Deputy Adviser (Unani).	@Subject to variation dependent on work load.			
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil.
11		12		
Promotion		Promotion : Senior Medical Officer (Unani) with 5 years regular service in the grade failing which Senior Medical Officer (Unani) with 9 years combined regular service in the grades of Senior Medical Officer (Unani) and Medical Officer (Unani) out of which 2 years regular service should be in the grade of Senior Medical Officer (Unani).		
Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.				

13		14		
Group 'A' DPC (For considering promotion) Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) — Chairman Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) — Member Adviser (Unani) — Member		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
1	2	3	4	5
12. Medical Officer (Siddha)*	2* * Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13,500 plus Non-Practice Allowance admissible as per Central Government orders.	Not applicable
*For functional purposes, a Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Medical Officer or Research Officer (Siddha).				
6			7	
Not exceeding 35 years			Yes	
Note 1: Relaxable for other Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.				
Note 2: For those incumbents holding the posts of Research Assistant/Technical Assistant/ Senior Technical Assistant/Assistant Research Officer on regular basis on the date of commencement of these recruitment rules, the age limit will be 'Not exceeding 50 years'. No further age relaxation shall be admissible.				
Note 3: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.				
8			9	10
Essential :			Not applicable	One year
(i) A Degree in Siddha of a Recognised University/ Statutory State Board/Council/Faculty of Indian Medicine or equivalent recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).				
(ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine.				
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.				
11			12	
Direct recruitment :			Not applicable	
Note : Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on transfer on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/ Public Sector undertakings/semi Government, autonomous or statutory organisations :—				

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or
(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 6,500—10,500 or equivalent; and
(b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column 8.
(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13		14		
Group 'A' DPC (For considering cases of confirmation)		Consultation with Union Public Service Commission necessary.		
1. Secretary, (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)—Chairman				
2. Director/Additional Director, (Central Government Health Scheme) —Member				
NOTE : The proceeding of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.				
1	2	3	4	5
Senior Medical Officer (Siddha)* *For functional purposes, a Senior Medical Officer when posted in a dispensary/hospital or in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Adviser (Siddha).	2@ @Subject to variation dependent on work-load	GCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200 plus Non-Practising Allowance admissible as per Central Government Orders.	Non-Selection
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11		12		
Promotion		Promotion : Medical Officer (Siddha) with 4 years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
13		14		
Group 'A' DPC (For considering promotion) :		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
1. Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) —Chairman				
2. Joint Secretary (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) —Member				
3. Director/Additional Director, (CGHS) —Member				

[No. A. 12011/2/96/ISM(E.I.)]
CHIRANJI LAL, Under Secy.